

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल एस0डी0ए0 कम्पलैक्स शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2015 से 3/2016
भाग—एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल शिमला-9 के लेखाओं अवधि 4/15 से 3/16 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने विद्युत मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया:-

- | | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | श्री बी0के0 त्रिवेदी, अधिशासी अभियन्ता | 1.4.2015 से 30.9.2015 |
| 2 | श्री के0 एन0 भल्ला, अधिशासी अभियन्ता | 1.10.2015 से 31.3.2016 |

(ख) अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.3.2016 तक स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4(क)	(-)2.10
2	विविध अग्रिमों का समायोजन न करना	4(ख)	5.19
3	सुरक्षित अग्रिमों की लम्बे समय से वसूली न करना	5	28.05
4	निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6	52,18.08
5	संविदाकार के बिल से संवैधानिक कटौतियां न करने बारे	7	1.56
6	वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप वित्तीय हानि बारे	10.1	0.74
7	सेवा कर व स्वच्छ भारत सैस को समय पर जमा न करना	11	3.11
8	औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक-स्टोर का क्रय करना	12	1.85

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट—“क” में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में निम्न विवरणानुसार 60 पैरे अनिर्णीत हैं।

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4 / 1992 से 3 / 1993	1
2	4 / 1995 से 3 / 1996	1
3	4 / 1997 से 3 / 1998	1
4	4 / 1998 से 3 / 1999	1
5	4 / 1999 से 3 / 2000	1
6	4 / 2000 से 3 / 2001	2
7	4 / 2001 से 3 / 2002	2
8	4 / 2002 से 3 / 2003	1
9	4 / 2003 से 3 / 2004	3
10	4 / 2004 से 3 / 2005	2
11	4 / 2005 से 3 / 2006	5
12	4 / 2006 से 3 / 2007	2
13	4 / 2007 से 3 / 2008	4
14	4 / 2008 से 3 / 2009	6
15	4 / 2009 से 3 / 2010	8
16	4 / 2010 से 3 / 2011	5
17	4 / 2011 से 3 / 2012	5
18	4 / 2012 से 3 / 2013	4
19	4 / 2013 से 3 / 2014	3
20	4 / 2014 से 3 / 2015	3
कुल योग		60

अतः अधिशाशी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल शिमला-9 उपरोक्त अनिर्णीत ऑडिट पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के लेखों अवधि 4/15 से 3/16 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा श्री सतपाल सिंह, उप निदेशक (अंकेक्षण) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 6.1.2017 से 30.1.2017 तक एस0डी0ए0 कम्पलैक्स शिमला में किया गया। माह 3/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के गलत एवं अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

उक्त संस्था के अवधि 4/2015 से 3/2016 के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 स्टाफ अग्रिम तथा विविध अग्रिम की असमायोजित राशियों के बारे में:—

(क) दिनांक 31.3.2016 तक स्टाफ अग्रिम राशि (—) ₹2.10 लाख समायोजन हेतु शेष

अधिशायी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक स्टाफ को दिए गए अग्रिमों की राशि (—) ₹ 2,10,521 दर्शाई थी जिसका पृथक-पृथक विवरण निम्न प्रकार से है।

(1) निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर स्टाफ अग्रिम के रूप में ₹3,87,821 की राशि दी गई थी, जिसका समायोजन 31.3.2016 तक नहीं किया था। अतः असमायोजित राशि का समायोजन अतिशीघ्र करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए :-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी नाम	का पद	दिनांक 31.3.2016 तक असमायोजित अग्रिम की राशि (₹) में
1	श्रीमती रजनी दुगल	सहायक अभियन्ता	10821
3	श्री जतिन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	9,988
5	श्री राजेन्द्र पाल	चालक	3,28,534
6	श्री सुरेन्द्र सिंह	चालक	5,628
9	श्री नन्द लाल	चालक	1,410
11	श्री दुर्गा दास	चालक	7,328
14	श्री सुनील कुमार	क्लीनर	3,111
15	श्री प्रकाश चन्द	चालक	20,001
17	श्री दुर्गा राम	चालक	1,000

कुल योग ₹3,87,821

(2) निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को जो समय-यम पर स्टाफ अग्रिम दिया गया था उसका समायोजन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिनांक 31.3.2016 तक विद्युत मण्डल, कसुम्पटी को बिल/वाउचर प्रस्तुत कर दिए थे परन्तु मुख्य कार्यालय द्वारा दिए गए स्टाफ अग्रिम के बारे में विद्युत मण्डल, कसुम्पटी को 31.3.2016 तक सूचित नहीं किया गया और दी गई स्टाफ अग्रिम की राशि को (—) में दर्शाया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी नाम	का पद	स्टाफ अग्रिम की राशि जिसकी सूचना विद्युत मण्डल को दिनांक 31.3.2016 तक नहीं दी गई (राशि (₹) में)
1	श्री नरेश कुमार	सहायक अभियन्ता	(—) 576
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	चालक	(—) 67,839
3	श्री दुनी चन्द	चालक	(—) 1,952
4	श्री दिनेश कुमार	चालक	(—) 32,695
5	श्री नरेश कुमार	चालक	(—) 52,861
6	श्री जगदीप कुमार	चालक	(—) 2,76,154

7	श्री सुरेश कुमार	चालक	(-) 74,508
8	श्री मनोहर लाल	चालक	(-)88,544
9	श्री मोहिन्द्र सिंह	चालक	(-)3,213

कुल योग (-) ₹5,98,342

हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा जो स्टाफ अग्रिम की विवरणी (-) में दर्शाई गई थी के बारे में अधियाचना सं० 6 दिनांक 23.1.2017 द्वारा उक्त राशि को (-) में दर्शाने के वास्तविक कारणों का औचित्य स्पष्ट करने को कहा था। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल, कसुम्पटी ने पत्र सं० हिमुडा/पी०पी०एण्ड ई०/2016-2776 दिनांक 27.1.2017 द्वारा जो उत्तर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया था को संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः जो स्टाफ अग्रिम की राशि (-) में दर्शाई गई है, के बारे में मुख्य कार्यालय निगम विहार से सूचना प्राप्त करके उसका समायोजन भी मण्डल स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु यह परामर्श भी दिया जाता है कि जिस आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्टाफ अग्रिम प्रदान किया जाता है उसका समायोजन भी उसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अनियमितता से बचा जा सके।

(ख) दिनांक 31.3.2016 तक विविध अग्रिम ₹5.19 लाख समायोजन हेतु शेष

अधिशाशी अभियन्ता, विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक विविध अग्रिमों की ₹5,18,827.40 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	कर्मचारी/संस्था का नाम	दिनांक 31.3.16 तक असमायोजन हेतु बकाया
1	निदेशक, ग्रामीण आवासीय विंग शिमला	4,794.55
2	निदेशक, आर०आई०डी० शिमला	5,775.20
3	प्रबन्ध निदेशक(एच०पी०एम०सी०) शिमला	950.55
4	निदेशक, उद्योग विभाग शिमला	369.60
5	इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग शिमला	721.50
6	श्री दिनेश कुमार, चालक	23,874.00
7	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	1,65,216.00
8	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	(-) 10,529.00
9	श्री नरेश कुमार, चालक	4,491.00

10	श्री दुर्गा दास, चालक	1,14,911.00
11	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	1,11,966.00
12	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	39,926.00
13	मै० शर्मा एण्ड को० शिमला	306.00
14	श्री जगदीप कुमार चालक	56,055.00

कुल योग ₹5,18,827.40

अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त अग्रिम राशियों का समयबद्ध समायोजन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 संविदाकारों से ₹28.05 लाख के सुरक्षित अग्रिमों की वसूली शेष:-

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम राशियों के रूप में किए भुगतान में से दिनांक 31.3.2016 तक ₹28,05,501 वसूली हेतु लम्बित थी। इसमें से कुछ एक संविदाकारों को लगभग 9-10 वर्ष पहले सुरक्षित अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था परन्तु अभी तक इन राशियों का समायोजन/वसूली नहीं की गई। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार-बार आपत्तियाँ उठाई गई थी। अतः निम्न वर्णित सुरक्षित अग्रिम राशियों की वसूली संविदाकारों/उचित स्त्रोत से यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध संख्या	राशि (₹) में
1	मै० कालरा हार्डवेयर एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स स्टोर, शिमला	5 वर्ष 2004-05	50,145.00
2	मै० चढा एण्ड कम्पनी सोलन	13 वर्ष 2011-12	6,74,646.00
3	मै० कुमार इलैक्ट्रॉनिक्स ऊना	12 वर्ष 2010-11	2,82,081.00
		15 वर्ष 2010-11	2,63,739.00
		17 वर्ष 2012-13	3,66,413.00
4	मै० भारद्वाज इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी न्यू शिमला	4 वर्ष 2013-14	7,85,437.00

17 वर्ष	1,67,100.00
2014-15	
17 वर्ष	2,15,940.00
2015-16	
कुल योग	28,05,501.00

6 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा ₹5218.09 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:-

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा कार्यों "प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेशन" के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.3.2016 तक ₹52,18,08,993 जमा करवाई गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है लेकिन अभी तक उक्त राशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि इन जमा राशियों से अधिकांश निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं, अतः जिन्हें अब प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राशि शेष रहती है तो उसे वापिस लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पूर्ण किए गए कार्य क्या प्रस्तुत प्राकलन जिसके आधार पर राशि जमा करवाई गई थी के अनुरूप थे, के बारे में विभागीय जाँच करवाना सुनिश्चित करें। यदि प्रस्तुत प्राकलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाना सुनिश्चित करें तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 संवैधानिक कटौतियों ₹1.56 लाख की वसूली न करने बारे:-

कार्य का नाम: Construction of Directorate Building for Elementry Education at Lalpani, Shimla H.P.(SH: Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 No. Ten passenger Gen-2 Electric traction elevator)

फर्म का नाम: मै0 आरविस ऐलीवेटर क0लि0, अहमदाबाद-380061

अनुबन्ध सं0: 19 of 2014-15.

Awarded Amount: ₹ 2450000-00

आबंटन पत्र सं0: HB-PP&E/W-7/2010-2212-17 दिनांक 18.12.14

आरम्भ करने की तिथि: 1-1-2015

पूर्ण करने का समय: तीन माह

माप पुस्तिका सं०: 242/14 Page-14 to 16

वाउचर सं०: 19 of 1-5-15 amount ₹1837500-00

उक्त आबंटन पत्र के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, लालपानी शिमला-1 के भवन में Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 No. Ten passenger Gen-2 Electric traction elevator लगाने के कार्य को उक्त फर्म को आबंटित किया था। उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रथम चलत बिल द्वारा awarded amount ₹2450000 की 75 प्रतिशत ₹1837500 का भुगतान उक्त फर्म को वाउचर सं० 19 दिनांक 1.5.2015 को किया गया था। परन्तु संविदाकार के उक्त चलत बिल से ₹156400 की संवैधानिक कटौतियाँ जैसे कि प्रतिभूति राशि, बिक्रीकर, आयकर और लेबर सैस की कटौती नहीं की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1	प्रतिभूति राशि (109375-44850 E/money)	64525
2	आयकर	36750
3	आयकर	36750
4	लेबर सैस	18375
कुल		156400

अतः संविदाकार के उक्त बिल में से संवैधानिक कटौतियाँ न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 10, दिनांक 24.1.2017 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रथम चलत बिल से संविदाकार से ₹1,56,400 की संवैधानिक कटौतियाँ न करने बारे तथ्यों सहित औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

8 नॉन-जुडिशियल पेपर को क़य करने की तिथी से पूर्व संविदाकार से अनुबध करने बारे:

कार्य का नाम: Self financing scheme at Flowerdale, Shimla-2 c/o 24 Nos. Cat.III flat including E.I work therein)

फर्म का नाम: मै० भारद्वाज इलैक्ट्रीकल कामना न्यू शिमला-171009

अनुबन्ध सं०: 3 of 2015-16.

Awarded Amount: ₹ 2101137 which is 43.52% above the amount put to tender.

आबंटन की तिथि: 4-9-2015.

आरम्भ करने की तिथि: 21-9-2015.

पूर्ण करने की तिथि: 22-2-2016.

कार्य करने का समय: एक माह

माप पुस्तिका सं०: 239/14 Page-85

वाउचर सं०: 66 of 3/16

उक्त कार्य पत्र सं० Himuda-PP&E/W-7/2010-209-14 दिनांक 24.4.15 द्वारा संविदाकार को आबंटित किया गया था। आबंटन की शर्त सं० 1 के अनुसार संविदाकार को कार्य आबंटन की तिथि से 15 दिनों के भीतर नॉन जुडिशियल पेपर ₹15 पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना अपेक्षित था, परन्तु उक्त संविदाकार द्वारा दिनांक 21.5.2015 को ₹15 का नॉन जुडिशियल पेपर क्रय करके अनुबन्ध दिनांक 9.5.2015 को किया गया दर्शाया है। नॉन जुडिशियल पेपर क्रय करने से पूर्व की तिथि से अनुबन्ध करना तर्कसंगत नहीं है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 9, दिनांक 24.1.2017 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः नॉन जुडिशियल पेपर के क्रय करने से पहले दिनांक 9.5.15 को अनुबन्ध करने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

9 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति लिए बिना कार्य का आबंटन:—

कार्य का नाम: C/OHousing coloney at Nalagarh, Distt.Solan. (SH:Special repair of Internal E.I. to HouseNo,99, HIG.

फर्म का नाम: मै० चड्डा एण्ड कम्पनी नियर गीता आश्रम, सोलन, हिमाचल प्रदेश

अनुबन्ध सं०: 34 of 2015-16.

Awarded Amount: ₹23805 which is 59.88% above the estimated cost put to tender.

आबंटन की तिथि: 4-12-2015.

आरम्भ करने की तिथि: 4-12-2015.

पूर्ण करने की तिथि: 23-12-2015.

कार्य पूर्ण करने का समय: 15 दिन

माप पुस्तिका सं०: 232/11 Page-37 to 45.

वाउचर सं०: 26 of 3/16 ₹25274.00

कार्य आबंटन पत्र सं० HB-PP&E/W-7/2015-2318-24 दिनांक 4.12.15 द्वारा उक्त कार्य को संविदाकार से करवाया गया था, परन्तु कार्य करवाने से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी जोकि अनियमित ही

नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 7, दिनांक 24.1.2017 द्वारा हिमुडा विद्युत मण्डल कसुम्पटी को औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उक्त कार्य को करवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन व्यय स्वीकृति प्राप्त न करने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए।

10.1 वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹0.74 लाख की वित्तीय हानि बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: जी0ए0डी0-ए (डी)-1-98 दिनांक 21.01.97, जी0ए0डी0- (ए)-1-1/96 दिनांक 04.02.2006 तथा जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96-1 दिनांक 14.07.2014 द्वारा सरकार ने तथा हिमुडा ने अपने स्तर पर कुछ वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लिटर/किलोमीटर निम्न प्रकार से निर्धारित की थी:-

वाहन २	स्थानीय यात्रा प्रति लीटर	लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर
टोयटा ऐनोवा(डीज़ल)	07.24 कि०मी०	10.02 कि०मी०
मारुति एस०एक्स 4	08.35 कि०मी०	9.10 कि०मी०
महिन्द्रा स्कोरपियो	06.28 कि०मी०	9.22 कि०मी०
मारुति -800	11.60 कि०मी०	14.00 कि०मी०
एसटीम एल०एक्स	09.00 कि०मी०	10.00 कि०मी०
मारुति (इस्टीम)	9.74 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	
महिन्द्रा स्कोरपियो	7.50 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	
टोयटा ऐनोवा(डीज़ल)	8.40 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित वाहनों की औसत प्रति लीटर किलोमीटर के उपरोक्त मापदण्ड हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों/बोर्डों इत्यादि की भान्ति हिमुडा के वाहनों पर भी अक्षरशः लागू होते हैं, अपितु इन माप दण्डों को लागू करने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों की पालना न होने की स्थिति में ईंधन की अधिक खपत की अवस्था में सम्बन्धित चालकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी, इस बारे आपत्ति को बार-बार गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा हिमुडा प्रबन्धन के ध्यान में लाया गया था परन्तु इस मामले में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके फलस्वरूप तेल की अधिक खपत के कारण वाहन चालकों के विरुद्ध अनावश्यक वसूली में दिन-प्रतिदिन बढ़ौतरी हो रही है। यह प्रकरण सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हिमुडा के विशेष ध्यानार्थ लाते हुए यह भी परामर्श दिया जाता है कि जो वाहन बहुत पुराने हैं और तेल की खपत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में दिए मापदण्डों के अनुसार नहीं आ रही हैं उन वाहनों की तेल खपत की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से यथाशीघ्र करवाने के उपरान्त तदा अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिन वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम पाई गई है का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. वाहन संख्या एच0पी0-68(ए)-0012 (ईनोवा)										
माह के दौरान तय दूरी				सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	(₹)
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4 / 15	1510	779	2289	150.69	107.59	258.28	263	5	48.09	240.45
5 / 15	1695	1042	2737	169.16	143.92	313.08	313	..	..	..
6 / 15	2464	786	3250	245.90	108.56	354.46	380	25.54	50.86	1298.96
7 / 15	1714	675	2389	171.05	93.23	264.28	277	12.77	48.47	618.96
8 / 15	1150	865	2015	114.77	119.47	234.24	276	41.76	45.81	1913.02
9 / 15	1131	457	1588	112.87	63.12	175.99	187	11.01	44.47	489.61
10 / 15	3893	280	4173	380.52	30.67	419.19	474	54.80	47.10	2581.01
11 / 15	2882	495	3378	287.72	68.37	356.09	416	60	47.97	2878.20
12 / 15	3845	421	4266	383.73	58.14	441.87	508	66.12	46.90	3101.06
1 / 16	4188	719	4907	417.96	99.30	517.26	651	133.73	44.24	5916.24
2 / 16	2223	685	2908	221.85	94.61	316.46	354	37.53	45.14	1694.40
3 / 16	3347	971	4318	334.03	134.11	468.14	544	75.85	48.23	3658.43
योग										24390.34
2. वाहन संख्या एच0पी0-07(सी)-0022 (मारुति एस0एक्स 4)										
माह के दौरान तय दूरी				सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	(₹)
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4 / 15	338	886	1224	37.14	106.10	143.24	143	..	...	..
5 / 15	845	564	1409	92.85	67.54	160.39	165	4.60	74.50	342.70
6 / 15	806	479	1285	88.57	57.36	145.93	149	3.06	67.32	205.99

7 / 15	1368	586	1954	150.32	70.17	220.49	229	8.50	72.77	618.54
8 / 15	456	748	1204	50.10	89.58	139.68	141	1.31	66.64	87.29
9 / 15	922	372	1294	101.31	44.55	145.86	150	4.13	63.32	261.51
10 / 15	1016	520	1536	111.64	62.27	173.91	183.61	9.69	63.98	619.96
11 / 15	1155	329	1484	126.92	39.40	166.32	174.73	8.40	63.84	536.25
12 / 15	1344	786	2130	147.69	94.13	241.82	251	9.17	61.85	567.67
1 / 16	367	241	608	40.32	28.86	69.18	71	1.81	60.32	109.17
2 / 16	747	666	1413	82.08	79.76	161.84	164	2.15	61.04	131.81
योग										3480.89

3. वाहन संख्या एच0पी0-07 (सी)-0592 (मारुति इस्टीम)		9.74 कि0मी0 औसत हिमुडा द्वारा निर्धारित।				
	माह के दौरान तय दूरी	हिमुडा द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तवि क खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	(₹)
4 / 15	2086	214.16	244	29.84	64.80	1933.63
5 / 15	2603	267.24	279	11.75	70.32	826.36
7 / 15	2617	268.68	282	13.31	69.26	922.13
8 / 15	2091	214.68	226	11.32	64.91	734.78
9 / 15	3119	320.22	336	15.77	62.56	986.82
10 / 15	3054	313.55	337	23.44	62.56	1466.88
11 / 15	2972	305.13	328	22.86	63.18	1444.70
12 / 15	2205	226.38	255	28.61	62.55	1789.80
1 / 16	2659	272.99	289	16.00	60.58	969.28
2 / 16	2436	250.10	266	15.9	60.00	954.00
3 / 16	3717	381.62	386	4.37	60.42	264.50
योग						12292.80

4. वाहन संख्या एच0पी0-07 (ए)-9900 (स्कार्पियो)		7.50 कि०मी० औसत हिमुडा द्वारा निर्धारित।				
	माह के दौरान तय दूरी	हिमुडा द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तवि क खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	(₹)
4 / 15	2407	320.93	322	1.06	48.18	51.39
5 / 15	4803	640.4	658	17.6	52.20	918.72
10 / 15	5275	703.33	754	50.66	46.47	2354.48

11 / 15	2887	384.93	399	14.06	47.31	665.49
योग						3990.08

5. वाहन संख्या एच0पी0-52 (बी)-0012 (ईनोवा)			8.40 कि०मी० औसत हिमुडा द्वारा निर्धारित।			
	माह के दौरान तय दूरी	हिमुडा द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
4 / 15	6314	751.66	772	20.33	48.39	983.93
5 / 15	5404	643.33	654	10.66	53.25	568.00
6 / 15	5823	693.21	726.96	33.74	51.33	1731.87
7 / 15	5108	608.09	648	39.90	48.41	1931.55
10 / 15	1586	214.32	234	19.67	47.24	929.47
3 / 16	1895	225.59	238	12.40	48.86	606.09
योग						6750.91

6. वाहन संख्या एच0पी0-68(बी) -0001 (ईनोवा)										
माह के दौरान तय दूरी				सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
10 / 15	4099	18	4117	409.08	2.47	411.55	484	72.44	47.24	3422.06
11 / 15	4620	170	4790	461.07	23.48	484.55	550	65.45	47.89	3134.40
12 / 15	3357	196	3553	335.02	2707	362.09	434	61.91	46.60	2885.00
1 / 16	3883	48	3931	387.52	6.62	394.14	466	71.86	45.36	3259.56
2 / 16	5043	399	5442	503.29	55.11	558.40	613	54.59	44.89	2450.97
3 / 16	4821	458	5279	481.13	63.25	544.38	721	176.61	47.70	8424.29
योग										23576.28
कुल योग										74481.30

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 5, दिनांक 23.1.2017 द्वारा ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु लेखा परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने बारे वास्तविक स्थिति की जांच करवाई जाए अन्यथा ₹74481.30 की

वसूली उचित स्रोत से की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 वाहनों में निर्धारित माप दण्डों से अधिक ईंधन उपयोग के फलस्वरूप ₹0.21 लाख का अनियमित व्यय:—

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन-1-(सी)14-1-92-Voll, दिनांक 27.5.2006 द्वारा सरकार ने राज्य मुख्यालय शिमला के वाहनों के लिए प्रत्येक वाहन हेतु 70 लीटर ईंधन की सीमा स्थानीय यात्रा हेतु निर्धारित की है। निम्नलिखित वाहनों की लॉग बुकों के अवलोकन करने पर पाया कि इन वाहनों में 70 लीटर से अधिक पेट्रोल/डीजल स्थानीय यात्रा के लिए भरा गया था, जोकि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित नहीं है:—

Sr. No.	Vehicle No.	Month	Fuel Consumed at Local Journey	Fuel admissible for local Journey	Excess consumed	Rate	Total recovery
1	HP-68(A)9900	4/2015	107.59	70	37.59	48.09	1807.70
		5/2015	143.92	70	73.92	48.9	3554.81
		6/2015	108.56	70	38.56	50.86	1961.16
		7/2015	93.23	70	23.23	48.47	1125.95
		8/2015	119.47	70	49.47	45.81	2266.22
		1/2016	99.30	70	29.30	44.24	1296.23
		2/2016	94.61	70	24.61	45.14	1110.89
		3/2016	134.11	70	64.11	48.23	3092.02
					Total		16214.98
2	HP-07(C)0022	4/2015	106.10	70	36.10	74.50	2689.45
		8/2015	89.58	70	19.58	66.64	1304.81
		2/2016	79.76	70	9.76	61.04	595.75
						Total	4590.01
					Grant Total		20804.99

अतः ₹20804.99 का ईंधन निर्धारित सीमा से अधिक भरवाने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना लेखा परीक्षा दिखाई जाए।

11 विविध:-

₹3.11 लाख का सेवा कर व स्वच्छ भारत सैस को समय पर जमा न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को तलपट (Trial Balance) के अनुसार सेवा कर व स्वच्छ भारत सैस के रूप में क्रमशः ₹3,04,142 व ₹7,834 जोकि विभिन्न निर्माण कार्यों से वसूल की गई थी, सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने हेतु लम्बित थी। उक्त राशि को समय पर जमा न करवाना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 11, दिनांक 27.1.2017 द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि को शीघ्र जमा करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹1.85 लाख के स्टॉक-स्टोर का क्रय करना:-

हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 103 द्वारा स्टॉक-स्टोर का क्रय करने की विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। व्यय वाउचर सं0 64 दिनांक 31.3.16 की विस्तृत पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,84,800 के स्टोर-स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही हिमुडा को बाजार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 4, दिनांक 20.1.2017 द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः स्टोर-स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक-स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं0	इन्वॉस सं0	दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	128	3-11-15	Xperto Marketing Solutions Pvt. Ltd Xperto Complex, Luna Pani Mandi (H.P.)	Solar Street Light 4 Nos.	73800.00
2	129	3-11-15	-do-	Solar Street Light 6 Nos.	110700.00
योग					1,84,500.00

13 ₹0.11 लाख के व्यय को निर्माण कार्य से चार्ज करना:—

वाउचर सं0 37 माह 3/2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि विद्युत मण्डल द्वारा हि0प्र0 राज्य इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, शिमला से एक प्रिन्टर ₹11,300 में क्रय किया गया था परन्तु उक्त व्यय “C/O SFS in Sector-V, Parwanoo H.P.C/O 24 Nos. Cat.I Flat with parking floor (SH:Pg. Int E-I therein.” को चार्ज किया था जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त अनियमितता बारे औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹11,300 को सम्बन्धित लेखा शीर्ष से निकाल कर उसे उक्त निर्माण कार्य में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस बारे में कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

14 ₹0.10 लाख का स्टाफ अग्रिम का भुगतान करने बारे

वाउचर सं0 42 माह 3/2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमति रजनी दुगल, सहायक अभियन्ता को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ते व अन्य विविध भुगतान हेतु ₹10000 बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में किया गया था। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ते हेतु स्टाफ अग्रिम का भुगतान करना अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 3, दिनांक 20.1.2017 द्वारा इस बारे औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु लेखा परीक्षा को प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ते हेतु स्टाफ अग्रिम का भुगतान करने बारे उल्लेखित नियम से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त मद हेतु स्टाफ अग्रिम का भुगतान न किया जाए।

15 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971—खण्ड—1 के नियम 15.17 के अनुसार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा खरीदी गई सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) 2014—15 के उपरान्त नहीं करवाया गया था, जोकि उक्त नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:

वहन संख्या एच0पी0-03-बी-0744 तथा एच0पी0 51-ए-0744 की अवधि 4/2015 से 3/2016 की लॉग बुकों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इन लॉग बुकों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12, दिनांक 27.1.2017 द्वारा लॉग बुकों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही उक्त लॉग बुकों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 17 **लघु आपत्ति विवरणिका:**—लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर दिया गया, इसे अलग से जारी नहीं किया गया।
- 18 **निष्कर्ष:**—वर्तमान व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कारगर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:— (एल0ए0)एच (2)सी(15)(14) 135/90 खण्ड-7-2903-2905 दिनांक, 29-05-2017 शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला-171002
- पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
0177-2620881

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 1(ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटान में की गई कार्यवाही के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

- 1) पैरा 22 अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

- 1) पैरा 29 अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

- 1) पैरा 23 अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

- 1) पैरा 18 अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

- 1) पैरा 11 अनिर्णीत
2) पैरा 29 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत
2) पैरा 26 अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

- 1) पैरा 23 अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

- 1) पैरा 15 अनिर्णीत
2) पैरा 17 अनिर्णीत
3) पैरा 20 अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

- 1) पैरा 10(क) से (ड) अनिर्णीत
2) पैरा 18 अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

- | | | |
|----|---------|----------|
| 1) | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 14 | अनिर्णीत |

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

- | | | |
|----|---------|----------|
| 1) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 12 | अनिर्णीत |

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

- | | | |
|----|------------|----------|
| 1) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 13 | अनिर्णीत |

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा 12(क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत |

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

- | | | |
|----|---------|----------|
| 1) | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 7) | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 8) | पैरा 16 | अनिर्णीत |

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा 7(1 से 5) | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 11 | अनिर्णीत |

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 12(1 व 2) | अनिर्णीत |

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 10(1 से 4) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 11 | अनिर्णीत |

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा 3 | निर्णीत |
| 2) | पैरा 7(1 से 4) | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 9 | अनिर्णीत |

(20) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

- | | | | |
|----|------------|----------|--|
| 1) | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति के सत्यापनोपरान्त) |
| 2) | पैरा 4 (क) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 3) | पैरा 4 (ख) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 4) | पैरा 5 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 5) | पैरा 6 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित) |
| 6) | पैरा 7 | अनिर्णीत | |

7)	पैरा 8	निर्णीत	(अन्तिम बिल से संवैधानिक कटौतियाँ करने व प्रविष्टि एम0बी0 सं0 242/14 पृष्ठ-10 से 12 पर करने पर)
8)	पैरा 8(1)	निर्णीत	(भविष्य में समय पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाने के लिखित आश्वासन पर)
9)	पैरा 9	निर्णीत	(संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने व अनुबन्ध को हस्ताक्षरित करने पर)
10)	पैरा 10	अनिर्णीत	
11)	पैरा 11	निर्णीत	(अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल करने पर)
12)	पैरा 12	अनिर्णीत	
13)	पैरा 13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)